FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

कान्ति बनाम मथरा

किस्म मुकदमा 88-188RTA नम्बर 69 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/06/2024	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 11/07/2024 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
11/7/24	पत्रावली पेश हुई। अधिकार पत्र अधिवक्ता L.L. खुराना द्वारा (1, 2, 3, 4, 5) की तरफ से पेश किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब आगामी दिनांक 13/8/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा	
13/8/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 14/8/24 को वास्ते उ.आ. पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
14/8/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 21/8/24 को वास्ते उ.आ. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
21/8/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 29/8/24 को वास्ते उ.आ. पेश हो। 29/8/2024 उप खण्ड अधिकारी	Note 29/8

29/8/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 04/9/24 को वास्ते उ. आ. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
4/9/24	पत्रावली पेश हुई विपक्षी अधिवक्ता द्वारा 7 नियम 11 एवं 1 नियम 10 पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते निर्णय (7 R 11 एवं 1 R 10) आगामी दिनांक 17/9/24 को पेश हो।
17/9/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 25/9/24 को वास्ते निर्णय पेश हो। (7 R 11 व 1 R 10) उप खण्ड अधिकारी
25/9/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते निर्णय (7 R 11 व 1 R 10)(2) आगामी दिनांक 8/10/24 को पेश हो
8/10/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 16/10/24 को वास्ते निर्णय पेश हो। (7 R 11) (1 R 10) उप खण्ड अधिकारी
16-10-24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 24-10-24 को वास्ते निर्णय पेश हो। (7 R 11) (1 R 10) उप खण्ड अधिकारी
24-10-24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 12-11-24 को वास्ते निर्णय पेश हो। (7 R 11) (1 R 10) उप खण्ड अधिकारी

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

आज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ, जिला–भीलवाड़ा

SDO बनाम बिजौलिया

किस्म मुकदमा धारा 88-188 RTA प्रकरण संख्या 69/24

GCMS नम्बरः– 2024/282

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/11/24	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी (6) की तरफ से अधिवक्ता श्री [illegible] ने अधिकार पत्र पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब 1 नि 10(2) व 7 नि.11 आगामी दिनांक 21/11/24 को पेश हो।	
21/11/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते (7-11) प्रार्थना पत्र निर्णय आगामी दिनांक 26/11/24 को पेश हो	
26/11/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 10/12/24 वास्ते (7-11) पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
10/12/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 26/12/24 वास्ते (7-11) पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
26/12/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 9/1/25 को वास्ते (7-11) पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

9/1/25	पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान PO सा दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 16/1/25 को वास्ते (7-11) पेश हो। A/o/प उप खण्ड अधिकारी
16/1/25	पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान PO सा दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 5/2/25 को वास्ते (7 नि. 11) पेश हो। प्रार्थना पत्र A/o/प उप खण्ड अधिकारी
5/2/25	पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान PO सा दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 11/2/25 को वास्ते (7 नि. 11) पेश हो। प्रार्थना पत्र A/o/प उप खण्ड अधिकारी
11/2/25	पत्रावली पेश ... उपस्थित श्रीमान ... दिनांक 25/2/25 को वास्ते (7 नि. 11) पेश हो। प्रार्थना पत्र A/o/प उप खण्ड अधिकारी
25/2/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पूर्व में प्रतिवादी की ओर से 7 नि. 11 जा.दी. पेश हुआ था, जिसका जवाब वादी अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया। पत्रावली में 7 नि. 11 जा.दी. पर बहस सुनी गई। पत्रावली में 7 नि. 11 को स्वीकार किया गया। 7 नि. 11 के साथ स्वामी लाईसेन्स पेश किया गया, जिसे स्वीकार (संलग्न) किया गया। पत्रावली 7 नि. 11 जा.दी. को स्वीकार कर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–69 / 2024 तारीख दायर :– 18.06.2024

अनवान

1 कान्ति देवी पुत्री श्री मथरा पत्नि नारायण जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी आंट हाल निवास भारजी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।

2 सुवर देवी पुत्री श्री मथरा पत्नि दुर्गालाल जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी आंट हाल निवास खेराडीया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।

—वादी

बनाम

1 श्री मथरा पिता मोती जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी आंट तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
2 श्री उदा पिता मोती जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी आंट हाल निवास भारजी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
3 श्रीमति देउ पुत्री मोती पत्नि किशनलाल जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील डाबी जिला।
4 श्री बालू पिता मोती जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी आंट तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
5 श्रीमति मोडी पुत्री मोती पत्नि नन्दा जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरा ग्राम पचायत धोरेला तहसील डाबी जिला बून्दी।
6 राधा देवी पत्नि मथरा जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी आंट तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
7 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

–:उपस्थित :–

❖ श्री घनश्याम धाकड़ ..... अधिवक्ता वादी
❖ श्री लक्ष्मीलाल सुराणा(1–5), श्री अनिल धाकड(6).....अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – :प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.:–

–: निर्णय :–

दिनांक : 25/02/2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 5 की ओर से दिनांक 13.08.2024 को आदेश 7 नियम 11 जा . दी. का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है। जो किसी कृषी भूमि बाबत् किया जा सकता है। एवं साथ ही साथ जब तक धारा 88 के तहत् घोषणा होकर अधिकार तय नहीं होते तब तक धारा 188 के तहत भी राजस्व खातेदारों के विरूद्ध कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

– वादीगणों द्वारा वादपत्र में जो अंकन किया गया है कि वादीगण ग्राम आंट के निवासी है। ग्राम आंट में वादीगणों के नाम के कोई व्यक्ति निवासी नहीं है जिसका प्रमाण सम्पुर्ण ग्राम का राजकीय रिकॉर्ड एवं निर्वाचन नामावलीया है। वादीगणों द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज वादपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो कि वे ग्राम आंट के निवासी है। निवास को प्रमाणित कराने का एक मात्र राजकीय रैकार्ड है यह व्यक्ति का आधार कार्ड है जो प्रमाणित कर सकता है कि वह कहां का निवासी है। ऐसे स्थिति में वादीगणो के आधार कार्ड प्रार्थनापत्र के निस्तारण से पूर्व पत्रावली के पटल पर प्रस्तुत कराना आवश्यक है ताकि न्यायालय के समक्ष यह तय प्रमाणित हो जायेगा कि वादपत्र गलत व्यक्तियो द्वारा गलत तथ्य अंकित कर प्रस्तुत करावाया गया है। एवं आदेश 07 नियम 19 में भी स्पष्ट प्रावधान है कि वाधी अपना पंजीकृत कर मय दस्तावेज प्रस्तुत करे ताकि भविष्य में तामिले उस पत्ते पर करवायी जा सके। जबकि वादीगणों द्वारा उक्त आदेश कि कोई पालना नहीं की गई है।यह कि वादीगणों द्वारा गलत

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ (भील.)

निवास स्थान उल्लेखित करते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया गया साथ ही साथ वादपत्र दो प्रती में ी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

❖ यह कि वादीगणो द्वारा जिन राजस्व आराजियात का उल्लैख अपने वादपत्र की कलम संख्या 1 में उल्लेख किया गया है। एवं उस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात पर काबिज होकर निरन्तर रूप से शान्तिपूर्वक काश्त करते हुए आ रहे है। न्यायालय के सामने झूठे मनगणत तथ्य अंकित करते हुए न्यायालय को धौख में रखने का कृत्य वादीगणों द्वारा किया गया।वादीगणो द्वारा कलम संख्या 01 आराजी संख्याओं का उल्लैख कर कृषि भूमि दर्शित की गयी जबकि:–

अ:– आराजी संख्या 135–136–137–139–178 राजस्व ग्राम आंट पटवार सर्कल रेसुंदा कृषी भूमि वर्तमान में नहीं लेकर उक्त कृषी भूमि पर राजस्थान सरकार के खान एवं भु विज्ञान विभाग खनि अभियन्ता बिजौलियों द्वारा राजस्थान उपप्रधान खनिज रियायत नियमों के तहत खनन कार्य हैतु एक क्वारी लाईसेन्स कमांक 12/2018 दिनांक 31/03/2051 ई० तक की समयावधि तक जारी सुदा है। जो मथुरालाल एवं बाकी सभी प्रतिवादीगणो के नाम पर जारी सुदा है। उक्त क्वारी लाईसेंस की फोटुप्रति इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है।

ब:–यह कि क्यारी लाईसेंस के तथ्यो को वादीगणो द्वारा छुपाया जाकर न्यायालय को भ्रम में रखकर अनुचित आदेश प्राप्त करने की मन्शा से वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं जो काबिल निरस्ती के है।

❖ यह कि धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में केवल कृषी भुमि बाबत् वादपत्र प्रस्तुत किया जा सकता है न कि खनिज भुमि बाबत्।

❖ यह कि वादपत्र स्पष्ट रूप से विधि द्वारा वर्जित होने के कारण वादपत्र वादीगण , खारिज किये जाने योग्य है।प्रतिवादी अधिवक्ता ने 07 नियम 11 प्रार्थना के साथ फोटू प्रति क्वारीलाईसेन्स ग्राम आंट आराजी नम्बर 135, 136, 137 ,139, 178 क्षेत्रफल 2.2432 हैक्टेयर पेश कि उक्त क्वारी लाईसेन्स मथुरा लाल गुर्जर पिता मोतीलाल गुर्जर निवासी आंट तहसील बिजौलियां के नाम डिपार्टमेन्ट ऑफ माईन्स एण्ड जूलोजी, राजस्थान के रेफरेन्स नम्बर:–201900003405 क्वारी नम्बर 12/18 को जारी हुआ पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। इससे यह प्रमाणित होता है कि उक्त आराजीयात कृषि भूमि नहीं क्वारी लाईसेन्स जारीशुदा भूमि है।

प्रार्थना पत्र के जवाब में वादी अधिवक्ता ने 07 नियम 11 जा. दी. का जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थना पत्रों का अध्ययन किया गया एवं मनन किया गया साथ ही पत्रावली का अध्ययन किया गया दस्तावेजों का अध्ययन करने पर न्यायालय ने पाया कि उक्त आराजीयात पर क्वारी लाईसेन्स 12/18 जारी हुआ हैं इसलिए उक्त आराजीयात पर अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद चलने योग्य नहीं है। अतः आदेश जारी किए जाते हैं ,परन्तु जहॉ वादपत्र विधि द्वारा निषिद्ध हो और चलने योगय नही हो तो उसे प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारीज किया जा सकता है यह वादपत्र भी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा समय समय पर पारित न्यायिक निर्णयों एंव प्रतिवादित सिद्धान्तों के आधार पर विधि द्वारा वर्जित वादपत्र की श्रेणी में आता है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. **स्वीकार किया** जाता है तथा वादपत्र वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

अजीत सिंह राठौड़ (RAS)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलयां